



लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक, अधिशाली अभियन्ता, (हा०/इंटी० सेल) लखनऊ विकास प्राधिकरण, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या: 1515/EE/HTIG/2022 दिनांक 27/01/2022	सेवा में, मेसर्स ए०बी०सी० इन्फ्रा प्रमोटर्स प्रा०लि० 2/345 विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
--	--

विषय : मेसर्स ए०बी०सी० इन्फ्रा प्रमोटर्स प्रा०लि० द्वारा प्रस्तुत अफोर्डेबल हाउसिंग नीति "समाजवादी आवास योजना" के ग्रुप हाउसिंग मानचित्र की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके अनुरोध पत्र दिनांक 18.11.2021 के कम में उपरोक्त विषयक परमिट संख्या-40900 दिनांक 20.08.2016 की शर्तों के अधीन योजनावधि अग्रिम दिनांक 19.02.2024 तक विस्तारित/नवीनीकृत किये जाने की अनुमति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 12.01.2022 को प्रदान कर दी गयी है। उक्त स्वीकृति के कम में निम्नांकित शुल्क देय है:-

1. मानचित्र शुल्क - ₹0 9,72,000.00
2. निरीक्षण शुल्क - ₹0 68,705.00

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि देय शुल्क एक माह के अन्दर जमा करने (अन्यथा ब्याज देय होगा) का कष्ट करें ताकि इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

अधिशाली अभियन्ता,
(हा०/इंटी० सेल)

Lucknow Development Authority, Lucknow - CANDIDATE

Print Date : 29-Jan-22

Challan No. : 100341557

Challan Date : 29-Jan-22

Challan : Other

UCO Bank - Gomti Nagar

Applicant : M/S ABC INFRAPROMETERS PVT. LTD

Mobile No : 7388888606

Address : 2/345 VIKAS KHAND GOMTI NAGAR LUCKNOW

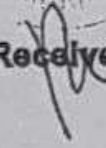
Email :

Purpose : EXCELLA KUTUMB SAMAJWADI AWAS YOJNA FOR MAP FEE & INSPECTION FEE

Head Description	Deposit Amount	ST Amount	VAT Amount
Supervision Charges	68705.00	0.00	0.00
Map Fee	962000.00	0.00	0.00
Total Amount			1030705.00

Bank Draft/Pay	Date	Bank Name	Branch Name	Amount
32022012700156180	27-Jan-22	INDUSLND BANK	KGOMTI NAGAR/LKO	1030705.00


Applicant's Signature


Receiver's Signature

ABC INFRAPROMOTERS PVT. LTD.

CIN: U70102DL2011PTC216494

Date: 18.11.2021

Ref. AB/254/2021

सेवा में,

श्रीमान अविशासी अभियन्ता,
मानचित्र सेल,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

18/11/2021

विषय- अनुमोदित भू-विन्यास मानचित्र (आवासीय भू-उपयोग) परमिट सं०-40900 दिनांक 20.08.2018 खसरा सं०-26781-1, 2688-2, 2692-1, 1, 2695-1, 2677, 2693, 2694, 2677, 2833, 2834, 2837, 2875, 2677 ग्राम बिकास की वैधता तीन वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपके द्वारा अनुमोदित भू-विन्यास मानचित्र आवास परमिट सं०-40900 दिनांक 20.08.2018 द्वारा विकासकर्ता को स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी वैधता दिनांक 19.08.2021 तक है। तदोपरान्त विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य शुरू करने हेतु समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र व खनन विभाग से, खनन हेतु अनुज्ञा प्रदान हेतु आवेदन किया गया, जिसकी स्वीकृति विकासकर्ता को दिनांक 06.05.2017 से दिनांक 05.08.2017 तक व दिनांक 08.02.2018 से 07.05.2018 तक खनन अनुज्ञा प्रदान की गई (छायाप्रति संलग्न है)। खनन अनुज्ञा प्राप्त होने के बाद विकासकर्ता को कार्य शुरू करने में सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए लगभग दो वर्ष का समय लग गया। तदोपरान्त वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय के ज्ञापन सं०-17024/230/2018 Housing-UD/EFS-9056405 (छायाप्रति संलग्न है) दिनांक 13.05.2020 एवं यू0पी0 रेरा के पत्र दिनांक 20.05.2020 द्वारा ऐसी परियोजनाओं जिनकी वैधता अवधि दिनांक 25.03.2020 या उसके बाद समाप्त हो रही है, उन्हें 9 माह का विस्तार दिया गया है। अर्थात् प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित भू-विन्यास मानचित्र की वैधता अवधि 9 माह जोड़कर दिनांक 19.05.2022 है। परियोजना में निर्माण कार्य कोविड-19 के कारण काफी अव्यवस्थित रहा, परन्तु अब सुचारु रूप से चल रहा है। भवन निर्माण उपविधि 2008 के पृष्ठ सं०-10/146, प्रस्तर सं०-2.1.5 (II) के अनुसार निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि में 3 वर्ष का समय विस्तार दिये जाने का प्रावधान है (प्रतिलिपि संलग्न है), तथा यह योजना समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है जो कि वर्तमान में चल रही अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के मानकों को भी पूरा करती है, जिसके पृष्ठ सं०-10, प्रस्तर सं०-7.4 में भी परियोजना पूर्ण करने के लिये अतिरिक्त समय अनुमन्य किये जाने का प्रावधान है (छायाप्रति संलग्न है)।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त भू-विन्यास मानचित्र की वैधता अवधि दिनांक 19.05.2022 से बढ़ा कर तीन वर्ष 9 माह का विस्तार देकर दिनांक 13.05.2025 कर दिया जाये, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के तहत बन रही इस परियोजना को जल्द से जल्द पूर्ण किया जा सके।

संलग्नक-यथाउपरोक्त

भवदीय

(अजय श्रीवास्तव)

अधिकृत हस्ताक्षरी

(कृते ए0बी0सी0 इन्फ्रा प्रमोटर्स प्रा0लि0)

मो0नं०-7388888806

दिनांक:- 29.07.2021....

Ref. AR/34/2021

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता,
मानचित्र सेल,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

30/07/2021

विषय:- अनुमोदित भू-विन्यास मानचित्र (आवासीय भू-उपयोग) परमिट सं0-40900
दिनांक 20.08.2016 खसरा सं0 26781-1, 2688-2, 2692-1, 2695-1, 2677,
2693, 2694, 2677, 2833, 2834, 2837, 2675, 2677, ग्राम बक्कास की वैधता तीन
वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

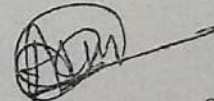
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपके द्वारा अनुमोदित भू-विन्यास मानचित्र
आवास परमिट संख्या-40900 दिनांक 20.08.2016 द्वारा विकास कर्ता को स्वीकृति
प्रदान की गयी थी जिसकी वैधता दिनांक 19.08.2021 तक है। वैश्विक महामारी
कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत
सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय के ज्ञापन सं0-0-17024/230/2018
Housing -UD/EFS-9056405 दिनांक 13.05.2020 एवं यूपी रेरा के पत्र दिनांक
20.05.2020 द्वारा ऐसी परियोजनाओं जिनकी वैधता अवधि दिनांक 25.03.2020 या
उसके बाद समाप्त हो रही है, उन्हें 9 माह का विस्तार दिया गया है। अर्थात्
प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित भू-विन्यास मानचित्र की वैधता अवधि 9 माह जोड़ कर
दिनांक 19.05.2022 है। परियोजना में निर्माण कर कोविड-19 के कारण काफी
अव्यवस्थित रहा परन्तु अब सुचारु रूप से चल रहा है।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त भू-विन्यास मानचित्र की वैधता अवधि
दिनांक 19.05.2022 से बढ़ा कर तीन वर्ष 9 माह का विस्तार देकर दिनांक 13.05.
2025 कर दिया जाये।

संलग्नक-यथाउपरोक्त

भवदीय

कृते ए0 बी0 सी0 इन्फा प्रमोटर्स प्रा0 लि0



प्राधिकृत हस्ताक्षरी



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

**PERMIT TO BULD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA-
LUCKNOW**

PRINT DATE :- 22/12/2016

APPLICATION NO: 51482

FILE NO : 86/EE/HTIG/2016

WARD:

SCHEME : NonScheme-MapApproval

PERMIT NO: 40900

SITE OF GROUP HOUSING

SECTOR :

PROPERTY NO 2678-1,2688-2,2692-1,2695-1,2677,
2693,2694,2677,2833,2834,2837,2675,
2677,BAKKAS

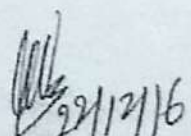
NAME: ABC INFRAPROMOTORS PVT LTD

Address: 2/345, VIKAS KHAND, GOMTI NAGAR, LKO

Sanction vide order dated 20/08/2016 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity: 19/08/2021 or expiry date of Lease deed whichever is earlier

Restriction If Required:


Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P